

*The question was put and the motion was adopted.*

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

*The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**PROF. V. K. R. V. RAO :** Sir, I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

*The question was proposed.*

**SHRI FRANAB KUMAR MUKHERJEE** (West Bengal) : Sir, there was a news item published in the newspapers saying that students coming from West Bengal Universities are not admitted in the Delhi University. It was pointed out in the news item that some people gave a representation to the Vice-Chancellor of Delhi University saying that students migrating from West Bengal Universities should not be admitted on merit alone. As the Naxalite activities are increasing in the West Bengal academic institutions, there should be police verification and students having a political background should not be admitted. My submission to the Minister at this stage, is that this should not be taken into account and I hope that only merit will be taken into consideration in regard to admission of students coming from West Bengal. This is particularly important because a good number of students have got their degrees...

**PROF. V. K. R. V. RAO :** Could I interrupt the hon. Member? A question was asked whether the Chief Executive Councillor wrote to the Delhi University suggesting that the students should be screened and whether any screening of the students was being done and I have given the answer already that no such letter has been written and no such representation was made to the Delhi University. The

Delhi University is taking no such action regarding screening of students.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

# THE INDIAN MEDICINE AND HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL, 1968—contd.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Now, we pass on to the next Bill.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) :** Sir...

**SHRI M. V. BHADRAM** (Andhra Pradesh) : Sir, the Minister has already finished his speech on the 19th May last.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** You have already moved the motion for the consideration of the Bill.

**SHRI B. S. MURTHY :** I have some new points.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** If you have already moved the motion, I think, in your reply you can clarify all those points. So far as the records are concerned, you have already moved the motion.

**SHRI M. V. BHADRAM :** On the 19th May there was so much Galata in the House that after a prolonged discussion you allowed the Minister to move the Bill, on the condition that he would only introduce the Bill and further consideration would be taken up in the present session. The Leader of the House had risen and gave a categorical assurance to the House on the suggestion made by the Mr. Dharia. I am reading from the proceedings.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Why do you want to read the proceedings?

**SHRI M. V. BHADRAM :** One submission I am making to the Chair.

[Shri M. V. Bhadram.]

He said : I will call all the leaders of parties and I will convince them and then we will pass the Bill. The Leader of the House who is also in charge of the Bill has not convened such a meeting.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI K. K. SHAH) : I have spoken to many friends.

SHRI M. V. BHADRAM : He said he would call all the leaders of parties. He has not done so.

SHRI K. K. SHAH : Let the Bill go on. I will call you again tonight.

SHRI M. V. BHADRAM : You have not called me. You have not called our party. Do not say that again. You have not called.

SHRI K. K. SHAH : I will call, I will call.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What was the assurance given by the Minister ?

SHRI M. V. BHADRAM : He said : I will call all the leaders of parties and I will convince them and then we will pass the Bill. This assurance was given by the Minister on the 19th of May.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : As pointed out by the hon. Minister, he has already had discussions with a number of Members.

SHRI M. V. BHADRAM : He has not called the C.P.I.

SHRI K. K. SHAH : I will meet his point. Today the discussion can go on. The passing will be tomorrow because it is for three hours. I will call tomorrow.

SHRI M. V. BHADRAM : Is it fair ? Three months have elapsed, and when the Bill is again being discussed, the Minister wants to call a meeting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : If the hon. Minister had given that assurance that he would consult other opposition party leaders, he should have convened a meeting or he should have

arranged to meet the leaders of the opposition and discuss the provisions of the Bill so that he could convince them after exchanging views with them. Of course he has not done so, as promised by him. I hope he will do it this evening or tomorrow morning before consideration of the Bill proceeds.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : We are flooded literally with hundreds of telegrams from the integrated medical practitioners saying that their case has been completely overlooked. If the Leader of the House had taken us into confidence, then it would have been much better for the House and it would have been easier for us to discuss the thing.

SHRI K. K. SHAH : I am sorry. I had some discussion. I called Mr. Dharia. (*Interruption*) I called others also. He came with the representatives of the Integrated Medical Association office-bearers...

SHRI M. V. BHADRAM : Is it a private affair between him and the Minister ?

SHRI K. K. SHAH : We will sit today.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : He has assured the House that he will call the leaders of parties. So it was a lapse on his part.

SHRI K. K. SHAH : Yes, Mr. Murthy does not mean it.

SHRI M. V. BHADRAM : The assurance was given by you, not by Mr. Murthy.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : Mr. Bhadram has said that it was clearly stated that he would contact other leaders of parties and convince them and then pass the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has said he will meet them today or tomorrow morning.

SHRI K. K. SHAH : We will meet after the House adjourns.

SHRI GODEY MURAHARI : So many of them are not present in the House.

SHRI K. K. SHAH : All right, tomorrow morning at 9.30 in Room No. 36 in the Parliament House.

SHRI KRISHAN KANT (Har-yana) : I think many points were raised last time when we adjourned. I think it would have been better if the hon. Minister had called the leaders. It seems the Minister might have thought over some of the problems mentioned last time. Before the discussion starts it would be better if the Minister is allowed to say a few words, new points which he might have to make, which might be helpful in the meeting tomorrow also. The Minister might be allowed to say something, some points of clarification.

SHRI M. V. BHADRAM : It is a new procedure. The hon. Minister has already introduced the Bill. The House is seized of the matter.

SHRI KRISHAN KANT : Suppose the points raised by the hon. Members last time are there.

SHRI M. V. BHADRAM : No Member has participated in the discussion. Only the Minister has introduced the Bill.

SHRI KRISHAN KANT : That point has been raised. Many of us are part of that. I do not want that integrated medical people should not have a proper place. As far as the hon. Minister is concerned, he wants to say something which would be helpful to the debate. Why should they object to the hon. Minister saying something?

SHRI M. V. BHADRAM : Mr. Krishan Kant is misleading the House because no discussion has taken place at all from the proceedings. Only the Minister made a speech. That is all. How can the Minister reply to the points that are raised by other Members? That does not arise at all.

SHRI KRISHAN KANT : My point is this. I did not say that the Members made certain speeches. Mr. Lokanath Misra was there; others raised the point. We want all these points to be considered. And in the meanwhile, suppose the Minister has considered those points, it will be helpful

to the debate. Suppose he has to make some points. He wants to give some points to the House. Why do you object to that?

SHRI GODEY MURAHARI : Sir, it is a three-day debate. One day the whole debate goes on. On the second day he says, I have considered some points and I will speak. On the third day also he says, I have considered some more points and I will say something again.

SHRI KRISHAN KANT : Suppose the Government has to say something, you do not want to hear?

SHRI GODEY MURAHARI : Definitely we will hear but only when he reply. We cannot hear any other thing.

श्री मान सिंह वर्मा : पिछली दफा यह हुआ था कि बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद मैं यह नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी की ओर से इस प्रकार का आश्वासन क्यों आया था। अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। क्या इस आश्वासन का मतलब यह है कि उस समय तक जब तक कि आप लीडर्स आफ अपोजीशन से बात न कर लें, तब तक कोई डिबेट नहीं होगी? मैं इसके लिए आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या इस बिल पर डिबेट होना मंत्री जी के आश्वासन पर निर्भर करता है? यदि नहीं करता है तो मैं रेक्वेस्ट करूँगा कि इस पर हम लोगों को अपने विचार प्रकट करने की इजाजत होनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : From the records it appears that the hon. Minister had moved the motion and after that there was some suggestion of the hon. Members that the consideration of this Bill should be postponed to the next session, and accordingly a motion was moved by Mr. Dahyabhai Patel and it was supported by a large number of Members. Accordingly, that motion was allowed to be moved; — it was allowed by the House. Therefore, it will not be desirable now to allow the hon. Minister to make a second speech. The hon. Minister will get a chance while replying to the debate and he

[Mr. Deputy Chairman.]

can mention all the facts that he wants to mention now. Better, he makes them in the end while replying to the debate.

**SHRI B. S. MURTHY :** I am not making any second speech. As there were one or two points, I thought that I could place them before the House for two or three minutes and then they can go on. If that is not liked by the hon. House, I am not insisting upon it.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Dr. Nagappa Alva.

**SHRI N. G. GORAY :** Are you proceeding with the discussion?

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Yes.

**DR. K. NAGAPPA ALVA** (Mysore) : Sir, I am happy that the Indian Medicine and Homoeopathy Central Council Bill is here before us and that it will be passed. Ayurveda is the essence of life. It covers all aspects of life also. It is a very ancient system of medicine in this country. Because of the British rule in India, there was the neglect of this system not only by not giving the encouragement that was due to it but also by not recognising it, by not giving any status to it and by not having cared to have any medical education standards in the Indian systems of medicine.

Sir, the health problems are said to be continuous problems. They may vary in degree or variety in different parts of a country or the different parts of the world. In advanced countries also, in spite of the great advances made in medical science and research many medical problems and health problems have been solved.

[**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN)** in the Chair]

But the impact of civilisation, modernisation, industrialisation, unbibinisation, unemployment and power politics is making itself felt not on the physical health but also on the mental health of the people. Here in this country we have to bear in mind the very purposeful and meaningful definition of health. Health is not simply absence

of disease. Balanced health is growth of body, mind and soul. Ayurveda satisfies all these conditions.

To start with, I must say that in 1963 the Central Health Council which met at Mahabaleswar took a decision to develop *siddha* ayurveda and to have medical education of some standard in this direction. I am very happy that the Government thought it fit to bring forward this Bill. In the initial stages homoeopathy was brought in but that was gradually taken away because homoeopathy by itself has nothing to do with the Indian systems of medicine, particularly *siddha* and Unani which formed part of the ayurveda itself.

Here a controversy has arisen about the inclusion of integrated system. I have to say some other things about the Bill. But at the outset I feel it is better that I give my opinion about the integrated system of medicines.

Sir, this system is there in certain parts of the country. But why did we decide to build up the ayurveda system and to have comprehensive health care and medical care. There was so much of controversy that the integrated system people have their education both in ayurveda and also in the modern system of medicine. But when it comes to the question of practice most of them practise only the modern system of medicine. That is why from the reports gathered it is clear that the ayurveda people, the *siddha* people and the unani people are against the inclusion of the integrated system in this Bill.

I am saying this because I have the highest regard for the people of the integrated system of medicine, who have done much in our country. Where we had no doctors and where quackery was rampant, these licentiates of modern medicine and the integrated system had done much to relieve the sufferings of the people. I am only suggesting that as we have decided to have a separate Council for Homoeopathy, recognition has to be given by a separate Council or Board for the integrated system. Here I emphasise that as the Bill has come here as the Indian Medicine Central Council Bill, without Homoeopathy. I support it.

Sir, about Ayurveda and its importance, we have to see all these things from another angle altogether. It is rural India. With all the progress and advancement in medical education and with more than 90 medical colleges in the country, in the Medical Conference that was held in the first week of July, the papers that were submitted by the officials proved that 80 per cent of the doctors who come out of the colleges prefer to stay in the urban areas, i.e., the big towns and cities. And out of the remaining 20 per cent, 15 per cent are in some of these so-called rural areas by force of circumstances because they are in Government service. We want to-day people who have got a rural bias, who will go to the villages and win the confidence of the people. It is necessary that good standards in the Indian system of medicine should be built up, not only with a rural bias, but also with a view to seeing that people have confidence in them. But during the last few years, very little attention has been given and it has been only lip-sympathy for a number of years. I find that only 0.2 per cent of the Budget is set apart for Ayurveda. How much money should be spent for medical education and medical care and how these institutions can be built up is for this House to consider. It is enjoined in our Constitution that every child that is born in this country should have proper growth, a balanced growth of body, mind and soul, and proper upbringing. For that it is very necessary that medical care should reach all the people in this country.

Then there is the question of cost also. Being a man of modern medicine, I know the difficulties and deficiencies of that system also. Much has been done. But it is necessary that the modern system should be developed more. But with all the efforts that we are making, it would not be possible to cover all the rural population and instil confidence in them. The present position is that medical treatment in the modern system has become very costly. This luxury of treatment and investigation our people cannot afford. Only the very rich people can afford it. The other people have no chance of getting themselves examined and treated under this system. So, it is necessary that Ayurveda should be built up.

And for that I say we must have standards. Medical education should be of standards and standards only. If you have got post-graduate medical education, then, more than anything else we need research. Ayurved has suffered and has gone down to this level because there has been no research so far. So I say that when the purpose of the Bill is to have medical education of standards, to prepare doctors, then, we must give them proper treatment also, infuse confidence into them. The Government should give its recognition to them. A statute must be given to them. Here I must say that in certain places much has been done in that direction. It has been done in Kerala. Particularly I must mention about Gujarat. In Gujarat there is an Ayurved University and so much encouragement has been given to this there. The budget provision for this must be increased immediately from the start itself. I suggest that a ten-year plan for the development of the Indian systems of medicine should be there without any delay.

The other point that I want to emphasise is that I find that the idea of forming these councils is to see that there is no quackery of any kind. For that purpose registration of these doctors, a code of ethics, a code of professional conduct, are necessary; they must be not only emphasised but they must be enforced without any fear or favour. You must see that medical education of standards is there, that medical ethics are followed strictly by the doctors. It is very necessary that every kind of encouragement is given to this.

Then comes the cost consideration. Simple things, simple ailments, minor ailments, can certainly be treated by the Ayurved people. In most parts of the rural areas more than 80 per cent of the people are treated only by the Ayurved people.

Here the part that has to be played by the Central Government, the State Governments, the Universities and the Central Council that is to be formed, has to be taken into consideration. Unless all these bodies act with devotion and with a certain amount of courage, the purpose of the Bill

[Dr. K. Nagappa Alva.]

would not be served. The idea is to spend any amount that is necessary, to select proper staff for the colleges or the hospitals or the laboratories, to purchase the equipment that is necessary. The idea is to give all the necessary encouragement. I must say that the status of the graduates of the Indian system of medicine must be that of the graduates of modern medicine. It is not only the status that should be equal, but their scale of pay also must be the same. It must be made clear to them so that confidence is instilled in them to take to this system of medicine. Here I find that standard text-books are not available. Standards of the medicine are not there. That is very necessary to be maintained. There are standard books in Sanskrit. For the information of this House I must say that actually the good standard books that we had in Sanskrit were taken by the Germans and they got them translated into their language. They then conducted researches into this system. In modern medicine has developed to such an extent, it is only because of the Ayurved system, on the basis of the Ayurved system. So, it is for us to see that without any hesitation we go ahead and build up Ayurveda on these lines.

Then, I must say that mental health is very important. Mental diseases can be cured to a large extent by preventive measures and Ayurveda has got not only preventive methods, but curative aspects also. Ayurveda is great because of this. It is with some pain that I say that unfortunately the mental health of a number of people in this country is deteriorating for so many reasons, such as impact of civilisation, power politics, and so on. It is very painful for me to say that the number of people who suffer from cardio-vascular diseases, gastro-intestinal disorders and blood pressure is increasing. The richer the people and the more they are mad for power, the more afraid they are of diseases and death and therefore they go to the doctors to find out whether they are suffering from any of these diseases. They spend a lot of money. A large number of people are today living on tranquillisers, sleeping doses, energisers and all sorts of alcoholic drinks. That is why unfortunately their mental condition is deteriorating. The

greater the civilisation and modernisation, the more are the mental diseases. I do not want to go into details. This is proved by the large number of people who got to the out-patient departments in the hospitals of America and Switzerland. Fortunately in this country the mental deterioration is not so much as it is there and that is because of the rural India. We must prove to those countries that we are in a position to provide medical care for mental health which will be available to all sections of the people and which will be within the easy reach of all the people.

So, sir, I say that after this Bill is passed, every attempt has to be made in this direction. Along with medical education, we have to take into account research, post-graduate education, equipment, text-books, and so on and so forth.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You may conclude now.

DR. K. NAGAPPA ALVA: Before concluding, I want to say something on medical education.

AN HON. MEMBER: He may be given some more time. This is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): But others are there.

DR. K. NAGAPPA ALVA: Speaking about medical schools or colleges. I want to say that 'medical institution' means not only schools or college, but also the hospital attached to that school or college. Our idea should be to see to raising the standard of medical education by providing all the facilities. As it is, only Government can do it; private institutions are not in a position to do it. They should be helped for which not much money is needed. But 2 per cent should be immediately raised at least by ten times so that the hospitals are fully equipped because it is there only where we can instill confidence into the minds of the people. We are instilling confidence in the people. Proper treatment should be there and all those facilities should be there with the latest equipment and we should also

give the greatest importance to sanitation, environmental hygiene and other things necessary. Added to these is the herbo-garden which is necessary. Herbo-garden must be these and pharmacy should be built. We do not find it there. Unless this government comes out openly and sets apart a special amount for these things, it cannot be built. Let us be true to ourselves, true to the cause of Ayurveda and let us spend any amount on herbo-gardens, pharmacies, etc. Then again, research is very necessary—clinical research, and then evaluation and comparison and also drug research. All these things should go together.

With these words, Sir, I support the Bill and I wish and hope that Ayurveda will have the encouragement that is necessary and these who have faith in this must be absorbed in the service and other things. That is again another point that those who have faith in this system must be absorbed.

Sir, another point I forgot to say—I am saying it while concluding—is about the defect that is found here, that is, there is no proper diagnosis here, their equipment and other things and their approach are not quite good. It is there in the modern system of medicine which has advanced. For proper diagnosis and then treatment of the diseases, all facilities should be provided and encouragement given. Sir, it is with these words that I support this Bill.

**SHRI N. G. GORAY :** Sir, I would have been very happy if I could have welcome this Bill as it stands. But, Sir, unfortunately I do not find myself in agreement with this Bill as it is presented here today.

Sir, I have listened very carefully to the maiden speech of Dr. Olva and I hope he will excuse me if I say it was full of contradictions.

**SOME HON. MEMBERS :** Full of what?

**SHRI N. G. GORAY :** It was full of contradictions. Sir, what is the main object of this Bill? The object of this Bill is to give encouragement to the indigenous systems, the various systems, of medicine that we have—Ayurved,

Siddha and Unani. I do not know how the word 'homoeopathy' crept in. I suppose when it was referred to the Joint Select Committee for discussion they thought that homoeopathy had nothing indigenous about it and they have now dropped it. So, now we are left with only three systems, three indigenous systems of medicine—Ayurved, Siddha and Unani. Sir, the whole basis on which this Bill is constructed seems to be that some special protection should be given to these three systems and if a separate Council is created for each, then these systems will prosper. So far as Allopathy or Western medicine is concerned, there is already a Central Council. Here I would say that this problem is not only facing our country. The same problem was facing our neighbour, China. Because India and China happen to be the two most ancient countries where ancient knowledge and wisdom had developed and along with other sciences and disciplines, this knowledge of medicine and the discipline of medicine also developed. But, after it reached a certain stage we find that the development stopped because I hope that medical development also is a part of the general scientific development and because the general scientific development and research stopped in India as well as in China, along with that, our development in medical science also stopped and what is known as Ayurved or Siddha or Unani is nothing but a fossilised system which has been there for the last thousand years without any development worth mentioning. Then we came in contact with the Western medicine and then we found that with a scientific outlook, research facilities and hospitals etc. we turned to the Western medical science and we accepted it with the result that these indigenous systems of medicines lagged behind. The gap between the two became quite wide. If you look into the history of our national movement, you will find that almost all our eminent leaders—Pandit Malaviya was one of them and Hakim Ajmal Khan was another—tried to integrate these systems. They could very well see that this system, if left alone, not exposed to scientific research, isolated from what was happening in the West, will one day wither away. Therefore I would draw the attention of the Government, and also of Dr. Olva, that every where they tried to integrate these two systems—to have scientific outlook, to

[Shri N. G. Goray.]

come into contact with the Western system and side by side, to try to develop the indigenous system also. This is why this integrated system has come into being and as I said before, in China also the same difficulty had to be faced. If you look to the development of medicine in China, you will find that they have gone through exactly these stages. First China fell a victim to the Western medicine, Western science, Western approach to everything. Then after China became free, she wanted completely to isolate herself from the Western influence and everything Chinese was extolled. First they tried integration and then they said Chinese medicine only should prevail and this sentiment reached its peak during the 'Great leap' period. Again they are coming down and they find that these two systems must be integrated. They realised that if they relied completely on the Chinese indigenous method which had its own principles and methods like acupuncture or the philosophy of Yin and Yang, the five principles, and of feeling the pulse, then it would not be possible to make any progress. Let us also try to absorb what is best in those systems and let us also keep our minds open for what is best in the Western system.

Sir, I would like to ask all the advocates of the Ayurvedic system and other systems that, when an emergency occurs, to which system do they go. Is it Ayurveda or Unani or Siddha, or you go to an allopathic physician or surgeon? Is it possible really to give full satisfaction to the patient if you discard everything that has come from the West? Where is it that you strike a balance? Sir, it was very illuminating when Dr. Alva said that 80% of the Doctors, who learn the Western medicine, are finding themselves in the cities and the whole rural masses are left uncared for. What does that mean? It means that Dr. Alva will be very happy if all those people also would get the services of these Doctors. But, unfortunately, that does not happen. And therefore what does he say? He says that, because the Doctors. But, unfortunately, that does satisfied with Ayurveda. Now, Sir, I would like to know this. I have the highest respect for Ayurveda. I have no less respect for Unani and Siddha

because they have their own herbs, their own medicines, I know. But does it mean that we discard altogether all this knowledge of Western medicine which has come as a result of the development of science and scientific experiments? And if we decide to discard it, I think that we shall be a poorer country. Sir, in order to know what has happened in China, I will just read out to you from this very informative article which has appeared in this journal taken by the Institute of International Studies. The writer says :

"The rehabilitation of traditional medicine started early in the 1950's but reached the peak only under the influence of the Great Leap in the latter part of the decade. It is a fascinating example of remoulding as practiced by the Chinese communists and involved several distinct steps. First of all, extravagant praise was heaped on Chinese medicine, stressing its 'history of several thousand years' and its 'fine cultural heritage'. In the second place, the regime undertook the difficult task of somehow organizing the highly individualistic Chinese medical practices and classifying and systematizing some of their skills and potions. Finally, in order to ensure equal status for both Western and Chinese medicine, courses in Chinese medicine were introduced in all medical schools, practicing physicians were required to take special courses in traditional medicine, and both types of Doctors have been thus working side by side in hospitals and clinics throughout the country."

Sir, though our relations with China are not very good, even then I would like to say that let us take into consideration what has happened in a neighbouring country which had a similar situation to face. And here, Sir, I am not in agreement with this Bill because it tries to create a wall between those people, who have tried to absorb or integrate the two disciplines, the Western and the Eastern, and those who are practising Shudda Ayurveda or Unani or Siddha.

Sir, Dr. Alva said that the integrated medical practitioners have done so many things and he had all sympathy for them but I wonder whether he

was killing them with compliments. If they have done so much good, then the moral follows that the integrated system should prevail. You should not stick only to Ayurveda, you should not stick only to Unani, you should not stick only to Siddha because it is indigenous medical science and no science can flourish in isolation. Science means clash of ideas : science means constant research, constant refinement and this is possible only if there are laboratories, hospitals, experiments, etc. etc. Look at the Registered Medical Practitioners. In my State of Maharashtra about 15 years back they said that all those who want to register themselves as medical practitioners should apply before a particular date and I would cite the example of my own very good friend. I won't name him. He immediately applied and got a certificate that he was a Registered Medical Practitioner. He does not know anything about it; he never practised. Such people will dominate the Register and what happens to these 50,000 integrated medical practitioners? They are left high and dry. I do not know whether Dr. Alva is an allopath or a Siddha Ayurveda man.

**SHRI MULKA : GOVINDA REDDY (Mysore) :** Allopath.

**SHRI N. G. GORAY :** But if he is an allopath, do these allopaths look at these integrated medical practitioners with respect? They consider them as *pariahs*.

**SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) :** They look at them with contempt.

**SHRI N. G. GORAY :** Yes; with contempt. That is what they do. Now what is going to happen? These integrated medical people will be left in the lurch again because the Siddha Ayurveda, Unani and Siddha people will again say, you are integrated, you cannot be here. And because they are only 50,000 throughout the country it will be the Registered Medical Practitioners who will get representation in all these bodies. These integrated people will be outnumbered. So I would like to submit that if you really want that medicine in India should advance, that

medicine in India should be of service to the common man, then you have to evolve a total outlook. You will have to decide once for all whether you are only going for Siddha Ayurveda, Unani and other things or you are really going to take advantage, the fullest advantage of the western scientific development in the field of medicine and surgery and absorb as much as you can from these indigenous systems. If you grow just chauvinistic and say that all these three systems are indigenous and therefore they must be given all the encouragement it would not take you anywhere. I am not against giving them encouragement but please understand that they cannot grow in isolation; their knowledge must be pooled. The typical method of Ayurveda, Unani and Siddha is that nobody will tell what his particular formula is to the other, while the scientific method is that you expose your formula for open enquiry and research and accept whatever refinement is there. All of us know that some of the best medicines have been lost to us because they were not communicated to the next generation or to the other man. This is our system; keep everything in hiding, everything in secret, keep everything in isolation and it dies away with the man who knows about it. All this will have to be broken. All the knowledge will have to be brought together and integrated.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) :** Even for these systems it is good that they must come in the open.

**SHRI N. G. GORAY :** That is what I am saying. You are not doing any good to these systems by isolating them from western influence. If it is science it should not be afraid to expose itself to the open and get itself criticised. Therefore my plea is—I am not pleading only on behalf of the integrated medical practitioners—for a total homogenous, universal outlook so far as medicine is concerned. I hope that when the Leader of the House meets the various leaders of the opposition, he will let them know what he thinks about it and not insist on passing the Bill as it is, whether it does justice to this particular cadre of integrated medical practitioners or the Siddha or Ayurveda practitioners.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) :** Mrs. Chaturvedi.

**DR. K. NAGAPPA ALVA :** Sir, on a point of clarification. I find from my friend Mr. Goray's speech that my speech was a contradiction.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) :** Dr. Alva, you can have a very good talk with Mr. Goray in the Lobby. We are short of time.

**DR. K. NAGAPPA ALVA :** I will take only two minutes. Here it is not a question of not encouraging modern medicine. I also said that the modern system of medicine has to be developed. Every advantage has to be taken of it. At the same time, the advantages of Ayurveda have to be taken. The building up of Ayurveda, doing research and making comparative studies must be done and advantage must be taken of what is good in it. People must have a chance to take to what is good in this system. It is a well-known system which has taken deep roots and today also it is giving relief to the people. I must once again say . . .

**SHRI M. V. BHADRAM :** Best of both the systems.

**DR. K. NAGAPPA ALVA :** The best of both can be got only if Ayurveda is built up on sound lines, if Ayurveda is encouraged, if research in Ayurveda is encouraged and educational standards are improved. Without that it is impossible to do anything.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) :** There is not much difference between you two.

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक पर अपने विचार प्रगट करने खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे समय दिया उसलिये मैं आप की बहुत आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं अपने विचार रखना केवल कर्तव्य ही नहीं समझती इस नाते कि मैं सदन की सदस्या हूँ बल्कि एक वैद्य के नाते मेरा कर्तव्य हो जाता है कि इस बिल

के ऊपर मैं अपने विचार रखूँ और संशोधन रखूँ और मैं यह उम्मीद रखती हूँ मंत्री महोदय से कि मेरे सुझावों पर वे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उनको अपने इस बिल में स्थान देने की कृपा करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह संयुक्त समिति का जो प्रतिवेदन हमारे सामने आया है, मैं उन सदस्यों की भी बड़ी आभारी हूँ, जन्होंने बड़े चिंतन, मनन और बड़ी मेहनत के बाद यह प्रतिवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा के रूप में सदन के बीच में इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन वह सुन्दर प्रतिमा किस रूप में आई थी और किस तरह से उसकी काटछांट करते-करते किस स्थिति पर वह आ गई है, इसका निर्णय करना मैं सदन पर छोड़ती हूँ।

अब मैं इस समिति के प्रतिवेदन पर और इस बिल पर अपने कुछ विचार रखूंगी। सब से पहले मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी और विवाद में जाऊँ वैद्य के या चिकित्सा के, मैं अपना कर्तव्य यह समझती हूँ कि विधेयक की धाराओं पर आपका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करूँ।

इसमें जो सबसे प्रथम संशोधन हमारे सामने आया है, उसमें समिति ने यह संशोधन किया है कि जो हमारी भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी है, उसको उन्होंने इसमें से हटा दिया है। संभवतः समिति की यह कल्पना है, उसका यह विचार है कि होम्योपैथी पद्धति कोई विदेशी पद्धति है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिये मानूँ तो मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या समिति ने इस बात पर विचार किया है कि जो यूनानी पद्धति वह भारतीय पद्धति है। अगर होम्योपैथी भारतीय पद्धति नहीं हो सकती है तो क्या यूनानी पद्धति भारतीय पद्धति हो सकती है? आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आज हमारी समिति का और सदन का यह विचार हो सकता है कि

होम्योपैथी के प्रवृत्तक हमारे कोई डा० हनीमैन थे, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को डा० हनीमैन ने खोजा, लेकिन होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा के प्रमुख ग्रन्थ चरक के दो सिद्धांतों पर आधारित हैं। सबसे पहले चरक ने यह कहा है : “विषस्य विषौषधम्” और दूसरी जगह कहा है : “समाः समं समयन्ति”। इसका अर्थ यह होता है कि विष ही विष की औषधि है। दूसरे का अर्थ यह है कि समान गुण धर्म वाले रोग, समान गुण धर्मवाली औषधियों से समान अर्थात् शान्त होते हैं। तो यह ससे पहले हमारे चरक में आता है जिसको हमारे विधेयक में से अलग कर के अपंग किया जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि इस तरह से होम्योपैथी को अलग कर के और केवल यूनानी को रख कर के हम आयुर्वेद के साथ न्याय नहीं करेंगे। अगर यह केवल नाम के ऊपर जाते हैं, तो मेरा फिर यही कहना है कि नाम पर आप जायेंगे तो आपको यूनानी को भी अलग करना होगा और केवल आयुर्वेद और शुद्ध पद्धति को ही आपको रखना पड़ेगा। तो मेरा यह सुझाव है कि हमारी यह पुरानी परम्परा है और जो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, उनके आधार पर यह होम्योपैथी चली है और उसको इसमें रखा जाय। इस समिति की और सदन की भी यह राय है कि केवल एलोपैथी को छोड़ कर भारत में जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं और जो यहाँ प्रचलित हैं, उनका विकास हो, उनको संगठित नियमित एवं विधिविहित किया जाय, जिससे उनकी मौका मिले और उनके द्वारा हमारे भारतवर्ष की चिकित्सा में सुधार आये और लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ और सुझाव रखना चाहती हूँ, वे इस तरह से हैं कि विधेयक के प्रथम अध्याय की धारा 2 परिभाषा के उत्तर में जहाँ उल्लेख है कि “भारतीय चिकित्सा से” सामान्यतया आयुर्वेद, सिद्ध व यूनानी के नाम से जानी जाती है। इसको निम्न संशोधित रूप से मान्यता दी जाये कि भारतीय

चिकित्सा सामान्यतया आयुर्वेद, सिद्ध योग प्राकृतिक, यूनानी व होम्योपैथी के नाम से जानी जाती है।

अन्यथा इसके विपरीत होम्योपैथी व यूनानी के लिए प्रथक् प्रथक् परिषदें निर्माण की जायें और इन के लिए प्रत्येक से विधेयक लाया जाना चाहिए और इस विधेयक के माध्यम से केवल मात्र भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसमें केवल शुद्ध आयुर्वेद, सिद्ध योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को ही समाविष्ट किया जाय, तभी यह विधेयक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक के नाम व उद्देश्य से सदन को अभिप्रेत होगा ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि मेरे उपरोक्त कथन या संशोधन को सदन मान्यता देता है तो फिर इस विधेयक के समूचे ढाँचे में यथा स्थान परिवर्तन सदन को स्वीकारना पड़ेगा, तभी विधेयक का सही रूप बन सकेगा।

भारतीय चिकित्सा के अभिप्राय से जहाँ-जहाँ विधेयक में उल्लेख हुआ है, वहाँ-वहाँ यथा स्थान योग व प्राकृतिक शब्द सहित समाविष्ट व विहित समझे जायें।

विधेयक के अध्याय दो को केन्द्रीय परिषद् के गठन की धारा (3) की उपधारा (1) में पैरा (ख) के बाद एक नवोन पैरा विधेयक में जोड़ा जाय जो निम्न प्रकार होगा : भारतीय चिकित्सा संस्थाओं में से प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य केन्द्रीय परिषद् का सदस्य होगा, जो उस राज्य की चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होगा जो कि विधि विहित मान्यता प्राप्त हों। तथा केन्द्रीय परिषद् के गठन अध्याय (2) धारा (3) की उपधारा (1) के पैरा (क) में जहाँ पाँच से अनधिक है, वहाँ पर तीन से अनधिक पढ़ा जाय और इसी के सदस्य आवंटन अनुपात से अनुसूची प्रथम में संशोधन किया जाय।

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

केन्द्रीय परिषद् के गठन संबंधी अध्याय (2) की धारा (3) की उपधारा (1) के पैरा (ग) को पैरा (घ) कहा जाय तथा वर्तमान पैरा (ग) के 'परन्तु जब तक के लिए' व्याख्यात्मक व सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट संबंधी प्रतिबंधात्मक पैरा बिल्कुल विधेयक से हटा दिया जावे। केन्द्रीय सरकार का नाम-निर्देशन का अधिकार अक्षुण्ण रखा जाय। कारण कि देश के योग्य व विद्वान और अनुभवी चिकित्सक चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** क्या कहा आपने ?

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** जो विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं, वह चुनाव के झंझट में पड़ना पसन्द नहीं करते हैं, जो चुनाव की परंपरायें पड़ रही हैं उनमें नहीं पड़ना चाहेंगे। अर्जुन अरोड़ा जी हो सकता है कि इस संबंध में आप को भी कुछ समय बाद सोचना पड़ जाय।

**श्री अर्जुन अरोरा (उत्तर प्रदेश) :** मेरा खयाल है कि आप भी चुन कर ही आयी हैं।

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** हां, मैं भी चुन कर आयी हूं और आगे के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो ऐसे लोग उस झंझट में नहीं पड़ना चाहेंगे और अध्यक्ष महोदय इस प्रकार विद्वान और विशेषज्ञ लोगों के प्रतिनिधित्व से केन्द्रीय परिषद् वंचित हो जायेगी और इससे हमारी परिषद् को बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए मैं यह सुझाव देती हूं। इसी प्रकार आयुर्वेद, सिद्ध व यूनानी की समितियों संबंधी धारा (9), अध्याय (2) में तीन समितियों के बजाय 6 समितियों का निर्माण किया जाय होम्योपैथिक योग व प्राकृतिक समितियां विधेयक की उपरोक्त धारा में जोड़ी जायें। समितियों के गठन की धारा (9) की उपधारा (2) में 6 समितियों के समावेश सहित संशोधित रूप से अभिप्राय समझा जाय।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की चिकित्सक की अर्हताओं संबंधी चारों सूचियों में भारत के कुछ प्रदेशों का कोई समावेश नहीं हो सका है, जैसे हरियाणा, हिमाचल, नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर आदि तो इन राज्यों के जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, केन्द्रीय परिषद् में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है और वे उस प्रतिनिधित्व से वंचित हो जायेंगे। यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। हमारे मेर एक सुझाव यह है कि कई राज्य ऐसे भी हैं कि जहां पर रजिस्ट्रेशन का कोई राज्य रजिस्टर विधि विहित ढंग पर नहीं रखा जाता है। उस को रखने की कोई प्रणाली नहीं है। देश के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप राज्यों में अनेक घटक शामिल हुए हैं और वहां बोर्ड या रजिस्ट्रारों का एकीकरण नहीं हो सका है, जैसे मध्य प्रदेश को आप ले लें। वहां अलग-अलग सरकारें थीं, कहीं एकीकरण की प्रणाली थी, कहीं नहीं थीं तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आपको परिषद् में अगर उनको प्रतिनिधित्व न मिला तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। अतः, इस सब की पूर्ति के लिए अंतरिम काल के लिए जिसकी अवधि 5 साल से अधिक न हो केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देने हेतु नामजदगी को अधिकृत माना जाय इसके लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार रहे और उक्त क्षेत्र को विशेष प्रतिनिधित्व दिये जाने की विधेयक में व्यवस्था हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह कर और एक सुझाव दे कर अपना भाषण समाप्त करूंगी। कई राज्यों के रजिस्ट्रारों में क्वालीफाइड और अनक्वालीफाइड दोनों प्रकार के चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं और इस विधेयक की अनुसूची प्रथम में वे सभी समानाधिकारी अर्हता मान्य हो जाते हैं, जब कि द्वितीय सूची के चिकित्सक विधि विहित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त मान्य उपाधिधारी हैं और वे समान रूप से तौले गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, दोनों को एक श्रेणी में रखना मैं समझती हूं कि उचित

न होगा। इसलिए मेरा अंत में सुझाव है कि आप इस तरह की जो कमियां हैं उनको दूर करें। मेरा यह आपसे अनुरोध है और इसके साथ-साथ हमारे बहुत से साथियों ने, जो सदन के अनुभवों सदस्य हैं उनको मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हर पार्टी के लीडर को बुला कर नेता सदन इस पर विचार विमर्श करेंगे। मेरा सुझाव है कि उस विचार विमर्श के समय आयुर्वेद विशेषज्ञ को भी ले। इस की कमियों पर भी विचार हो क्योंकि यह आयुर्वेद बिल ज्ञान विज्ञान और दूसरी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे संबंधित है। यह कोई राजनीतिक विषयक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अगर आप सुझाव लेना चाहें तो आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको उससे दखता है, उनकी सम्मति आप लें। मुझे अपेक्षा नहीं है कि आप नेताओं को बुलायें, लेकिन उनके साथ उन विशेषज्ञों को भी आप बुलायें और उनकी सम्मति लेकर विधेयक की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। जो कमियां मेरे मस्तिष्क में आयी हैं उनको मैंने बताया, उन पर आप सोच विचार करें और जो दूसरे सुझाव आये आयुर्वेद विशेषज्ञों के उनको आप मुने और जो लाभदायक हों उनका समावेश आप इस विधेयक में करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ और उसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप की पुनः बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

**श्री बी० एन० मंडल (बिहार):** उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी इस सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY IAS) in the Chair.]

स्वागत मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि यह विधेयक दोषरहित है। विधेयक में दोष हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ। स्वागत वहाँ करता हूँ इस बात को पीछे कहूँगा। लेकिन इसमें

जो दोष हैं उनको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। होना तो यह चाहिए कि एक ही कौंसिल बनती और उसकी अनेक शाखाएँ रहतीं जिसमें एक शाखा एलोपैथी की, दूसरी होम्योपैथी की, तीसरी आयुर्वेद की, चौथी सिद्ध की, पाँचवी प्राकृतिक चिकित्सा की और इसी तरह से जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके लिए एक-एक शाखा रहती और कौंसिल एक रहती। इस तरह की व्यवस्था रहती तो अच्छा होता या अलग अलग कौंसिल हर चिकित्सा पद्धति के लिए रहती तो अच्छा रहता। लेकिन वैसा न करके एलोपैथी के लिए तो एक स्वतंत्र कौंसिल है और इधर तीन चार के लिए एक कौंसिल है, मैं समझता हूँ कि यह अच्छा नहीं हुआ। यह एक दोष है।

मैं समझता हूँ कि यह विधेयक स्वागत करने लायक इसलिए है कि इसके द्वारा भारत की जो बीमारी है उससे अपने को कुछ दूर ले जा रहा है। इस बात के लिए यह स्वागत करने लायक है। आज हिन्दुस्तान का जो स्वास्थ्य है, चाहे वह सांस्कृतिक स्वास्थ्य हो, चाहे वह राजनीतिक स्वास्थ्य हो, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, हर प्रकार के स्वास्थ्य पर बाहरी कोई चीज हावी हो गयी है। हम लोगों ने देखा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा हम लोगों को दुश्मन बन गयी और आज वह हिन्दुस्तान की छाती पर गवार है, उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक पद्धति इस देश की अपनी पद्धति पर हावी हो गयी है और इसके साथ दुश्मनी कर रही है। इसी तरह से आज इस देश की जितनी भी चीजें हैं उनको दवाने के लिये कोई न कोई विदेशी चीज इस देश पर हावी हो गयी है और इस क्षेत्र में जो हम कोशिश कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की, विदेशी प्रभाव को कम करने की और अपने को ऊपर उठाने की, इस क्षेत्र में हिन्दुस्तान कुछ कामयाबी पा रहा है और यही कारण है कि इतने दिनों प्रयास के बाद आज जो देशी पद्धतियाँ चिकित्सा की

[श्री बी० एन० मंडल]

अभी तक दबा कर रखी गयीं उनको उस दबाव में कुछ हलुटकारा मिला है। यह एक खुशी की बात है और इस कारण ही यह स्वागत करने योग्य है।

जहां तक इंटीग्रेटेड पद्धति की बात है, इस के बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है; क्योंकि इतनी जल्दी कोई इंटीग्रेटेड तरीका दवाइयो का प्राप्त कर लेना मुश्किल बात है। इसके लिए तो प्रयास की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड प्रणाली के लिए कोई कोशिश हो यह तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में कोई इंटीग्रेटेड प्रणाली निकाली जाय यह मैं समझता हूं कि अच्छा न होगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक बार एक स्कीम बना कर उस लाइन में लोगों को शिक्षित किया है और उस से निकले हुए लोग बेकार पड़े हुए हैं, इसलिए उनका भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। यह सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन में जो लोग शिक्षित हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अब स्वतंत्र रूप से यहां की, इस देश की जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, यूनानी है या होम्योपैथी उसका डेवलपमेंट होगा और इसका डेवलपमेंट होने देना चाहिये। आज तक जो गड़बड़ रही है वह यह रही है कि एलोपैथी ने किसी को इस देश में बढ़ने नहीं दिया है। जो कोई भी हेल्थ मिनिस्टर या मेडिकल मिनिस्टर के स्थान पर हुये हैं वे साधारणतः वे ही लोग हुये हैं जिनकी सैम्पैथी एलोपैथी के साथ रही है या जो लोग कि वेस्टर्न सिस्टम आफ मेडिसिन में दीक्षित थे और उनकी सैम्पैथी बराबर उसी के साथ रही है। इसका नतीजा हुआ है कि जब कभी देशी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिये कोई मूवमेंट हुआ है, कभी कोई कोशिश हुई है, तो उस कोशिश में कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन बहुत दिनों के बाद

इसमें हमें सफलता मिली है और इसकी हमें खुशी है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसे साइंटिफिक तरीका कहते हैं, इस बात का गौरव आज एलोपैथी को ही दिया जाना है कि उसका जो तरीका है वह साइंटिफिक तरीका है और शायद आयुर्वेदिक का तरीका साइंटिफिक नहीं है। मैं कहता हूं कि आयुर्वेदिक का जो तरीका है, वह उससे भी बसी सूक्ष्म और साइंटिफिक है, लेकिन इसको साइंटिफिक साबित करने के लिये जो प्रयास आज की स्थिति में होना चाहिये, उसको होने का मौका नहीं दिया गया है और इसलिये ही इस तरह की बातों को कहने का मौका होता है। मैं चाहता हूं कि पूरी सुविधा, चाहे वह होम्योपैथिक हो, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, चाहे वह यूनानी हो, सबको मिलनी चाहिये। इन लोगों को पूरी-पूरी सुविधा मिलनी चाहिये कि अपने तरीके से ये भी अपना रिसर्च कर सकें और अपने को साबित कर सकें कि यह साइंटिफिक है या नहीं है। वे यह दिखला सकें और इस ढंग से एलोपैथी के सामने में अपनी सुपीरियरिटी को दिखला सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि जो बीमारी का इलाज होता है, उस इलाज में एलोपैथी के जरिये से तुरंत फायदा हो जाता है। लेकिन फिर वह बीमारी उभर पड़ती है, किन्तु जो आयुर्वेदिक की दवा रहती है, उससे परमनिष्ठ क्यूर होता है। नाडी की जो परीक्षा है वह एक ऐसी विलक्षण परीक्षा है जो कि एलोपैथिक वगैरह में नहीं है। अब वह कितना साइंटिफिक है? मेरी समझ में तो बहुत ही साइंटिफिक और सूक्ष्म ज्ञान की उसमें जरूरत है। तो इन सारी बातों की खोज के लिये बहुत परिश्रम की जरूरत है और शायद खर्च की भी जरूरत है और मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान उस ओर गया है तो सरकार इस पर काफी ध्यान देगी। लेकिन यह सब करने के लिये जिस मनोवृत्ति की जरूरत है, वह मनोवृत्ति लाने की आवश्यकता है। सरकार के वे मंत्री जो कि इस विभाग को सम्भालेंगे

उनमें जो एक पार्टिक्युलर बायस एलोपैथी के लिये हुआ करता था, उस बायस से उनको फ्री होना चाहिये, उनका दिमाग साइंटिफिक होना चाहिये, चाहे वह एलोपैथिक हो, चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, सभी के लिये उनका दिमाग यह रहना चाहिये कि सभी को हम पूरा मौका दे कि जो साइंस की कसौटी है उस पर वह खरे उतरें। तो हमें आशा है कि जो उसके लिये मौका देने की जरूरत है वह मौका हम देंगे और इस ढंग की कोशिश सरकार की ओर से होना चाहिये।

आज इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहां पर कितनी मेडिकल फैसिलिटिज हैं, एलोपैथिक कितने आदमी हैं, इन सारी बातों को देखते हुये जितनी भी बेसी पद्धतियों का मल्टीप्लीकेशन हो सके, जितने भी इंस्टी-ट्यूशंस का मल्टीप्लीकेशन हो सके, वह करना चाहिये, उसको बढ़ाया जाना चाहिये; क्योंकि पापुलेशन के हिसाब से अभी भी डाक्टर या वैद्य बहुत ही कम हैं। मेरा एक यह भी सुझाव है कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या यूनानी के जहाँ भी डाक्टर या वैद्य या हकीम होंगे इन लोगों का एक लेवल पर लाने की जरूरत है। अगर आप एलोपैथिक वालों का एकानामिक लेवल ऊपर रखियेगा और इन लोगों का नीचा रखियेगा तो जो काम आप करना चाहते हैं, जो इनको उठाना चाहते हैं, इनके जिस स्तर को आप उठाना चाहते हैं, वह आप नहीं उठा सकेंगे। तो इस बात की जरूरत है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े, उनका विकास हो और इसके लिये जरूरी है कि उनकी एकानामिक स्थिति, उन्हें समाज की तरफ से जो मान-मर्यादा मिलती है, जो वैल्यूएशन है, वह वैल्यू जो अटेच हो, वह उसी ढंग की हो जैसी कि किसी एक एलोपैथिक डाक्टर को दी जाती है और इसी ढंग से यहां की जो देशी पद्धति है, उस पद्धति का विकास हो सकता है।

जहां तक कि होम्योपैथी की बात है, किन्हीं का कहना है कि होम्योपैथी इसी देश की उपज

है, वह भी यहां की ही है। यह तो निश्चित बात है कि इतिहास में जैसा लिखा है और जैसा हम पढ़ते हैं उसमें हम यही पढ़ते हैं कि यूनानी पद्धति और सब पद्धति हिन्दुस्तान से गई हैं। वह हों तो अच्छी बात है और नहीं भी गई हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान से जा कर उसमें कुछ डिस्टिक्टवनेस आई है तो उस डिस्टिक्टवनेस को बढ़ने देने की जरूरत है और उस डिस्टिक्टवनेस को बढ़ने देने के सिलसिले में जो नई बात निकलती है और मालूम होती है उस नई बात को आगे ले जा सकते हैं और इससे हिन्दुस्तान का जो मेडिकल ज्ञान है उस में वृद्धि हो सकती है और इससे लोगों का उपकार हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस दृष्टि से इस बात पर विचार करेगी और उसी ढंग का इंतजाम किया जायगा। जैसे कि आज बजट में देशी चिकित्सा पद्धति पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और ऐसा न हो इसके लिये दिमाग को बदलने की जरूरत है। आज हर अंग्रेजी चीज चाहे भाषा हो, चाहे रहन-सहन हो, चाहे दवा हो, जिस किसी में अंग्रेजी का नाम हो, वह बड़ी अच्छी है और उसकी बड़ी मान-मर्यादा है, उसको बड़ी वैल्यू अटेच की जाती है। लेकिन जो अपनी चीज है, अपनी बात है, उसको कम महत्व दिया जाता है, उसको छोटा समझा जाता है। यह उन लोगों की, उन आदमियों की, उस राष्ट्र की निशानी है, जिसमें कि हीन भावना भरी रहती है, उसका ही यह लक्षण होता है कि वह अपनी सारी चीज को छोटा समझता है और दूसरे की चीज को वह बड़ा समझता है। अंग्रेजों के टाइम में हिन्दुस्तान में जो हीन-भावना भरी गई है, जो इफीरियरिटी का म्प्लेक्स आ गया है, वह हीन-भावना आज देश के स्वतंत्र होने के बाद भी हिन्दुस्तान से जा नहीं रही है। आज कोई महाशय उस समय राजनारायण के बारे में कह रहे थे कि राजनारायण ने बड़ी गल्ती की। राजनारायण एक देश-प्रेम वाला आदमी है, उसको देश से बहुत मुहब्बत है,

[श्री बी० एन० मंडल]

उसको हिन्दुस्तान के कास्टीडियूशन से मुहब्बत है, इसलिये जिस समय वह हिन्दी के बारे में कहता है तो इसलिये नहीं कहता कि चूँकि नार्थ-इंडिया में हिन्दी बोली जाती है या नार्थ-इंडिया से उसको प्रेम है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के संविधान की वजह से वह उस ढंग की बात कहता है, उसको उस लाइट में नहीं लिया जाना चाहिये जैसा कि उन महाशय ने उसको ले कर कहा। वह उस लाइट में ले कर उसको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं राजनारायण को डिफेंड करने के लिये बेसी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इस देश में वही हालत है कि मैं सिर्फ उन्हीं को क्या दोष दूँ इस देश में बहुतेरे आदमी हैं जो कि अंग्रेजी को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमको अंग्रेजी चाहिये। कहीं पर तो यह पास भी कर दिया कि अंग्रेजी ही हमारी भाषा रहेगी। (Time bell rings) खैर, यहां इसकी बात नहीं है, लेकिन यह सब इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है और इसके लिये अगर थोड़ी बहुत जबरदस्ती करनी पड़े तो करनी चाहिये। अमेरिका में क्या हुआ? वहां कुछ लोग कहते थे कि हम गुलामों को रखेंगे, कुछ लोग ऐसा कहते थे, लेकिन जो वहां का नेता था, जो जनता की भावना को ठीक ठीक समझता था, उसने कहा कि हम नहीं रहने देंगे और उसके लिये उन्होंने सब कुछ किया। उसी ढंग से आज हिन्दुस्तान में इस बात की जरूरत है कि ऐसे चन्द लोग जिनके दिमाग में इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और जिसकी वजह से देश को ठीक रास्ते पर बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर कुछ दवाने की भी जरूरत हो तो दवाना चाहिये।

**श्री धान सिंह वर्मा :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जोरदार शब्दों में इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि काफी दिनों की प्रतीक्षा के बाद इस प्रकार का बिल आया। हम आशा करते थे कि स्वतंत्र

होने के पश्चात् ही कुछ इस प्रकार के विषयों पर ध्यान दिया जायेगा, जो कि शुद्ध रूप से, शुद्ध तौर पर, अपने देश से संबंधित हैं, परन्तु यह देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आया कि जिन्होंने आज़ादी तो भारतीयता के नाम पर ली, किन्तु आज़ाद होने के बाद उनकी भारतीय भावनाएं नहीं रहीं और उनका दृष्टिकोण विदेशी हो गया और उन्होंने विदेशियों को सामने रख कर सोचा, जो कुछ भी सोचा। अभी अभी मैं, श्रीमन्, श्री गोरे की स्पीच सुन रहा था। मुझे बड़ा दुःख हुआ उनका भाषण सुन कर। मैं समझता था कि वह भी राष्ट्रीय संग्राम के सेनानी हैं और स्वदेशी और भारतीयता का नाम ले ले कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया था और आज किस प्रकार से उन्होंने चीन के गुणगान गाये हैं—मैं समझ सकता हूँ उनके विचारों को, विचार धाराओं को, चीन की हर पद्धति उनको अच्छी लगती है, चीन के हर सिद्धांत उनको अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा : What is science? The clash of ideas is science माओ की ध्यौरी यही है। उन्होंने कहा है कि : Science is nothing but the clash of ideas. यह उन्होंने कहा है : श्रीमन्, यह माओ की भी ध्यौरी है। They always gain through clashes; they always gain through such activities.

तो श्रीमन्, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रारम्भ से ही भारतीयता के नाम पर कुछ चिढ़ सी होती चली गई। जो सदियों की गुलामी के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात् जब अपना घर अपना हो जाता है, तो प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष यह सोचा करता है कि मेरे घर में क्या क्या चीजे हैं, मेरे महापुरुषों ने क्या कुछ खजाना छोड़ा है, क्या कुछ परिपाटियां छोड़ी हैं, क्या कुछ रवायतें हमारे लिए छोड़ी हैं, उन सबको देख कर अपने घर को सुधारे, आगे बढ़ाये, इस बात की आवश्यकता थी, किन्तु जैसा मैंने कहा उनका विदेशी दृष्टिकोण ही रह गया। अभी गोरे साहब ने कहा कि

एलोपैथी बड़ी साइन्टिफिक है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन एलोपैथी साइन्टिफिक है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आयुर्वेद साइन्टिफिक नहीं है। आयुर्वेद शब्द का ही अर्थ है साइन्स—आयु का वेद, वेद कहते हैं ज्ञान को, आयु का ज्ञान देने वाला है और ऐसा ज्ञान देने वाला है जो मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का ज्ञान देगा, बस शारीरिक ही नहीं। श्रीमन्, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो इस बात को मानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, बहुत बड़े पैम्बरों ने, गुरुओं ने हमारे लिए जो खजाना छिपाया है उससे बढ़ कर आज तक खजाना किसी और ने नहीं दिया है। यह बड़ी विडम्बना है कि आयुर्वेद भी उस विदेशी भावना का शिकार हो गया। 22 वर्ष के अंदर आयुर्वेद ने क्या तरक्की की है? आयुर्वेद ने क्या उन्नति की है? चाहिये यह था कि स्वतंत्रता के पश्चात् जैसे ही गद्दी गमाली थी, स्थान स्थान पर रिसर्च सेन्टर बन जाते, शोध केन्द्र बन जाते और इस बात की कोशिश की जाती कि आयुर्वेद जो इतना बड़ा विज्ञान था हमारे यहाँ, जो अब दब गया है, उसको कैसे उभारा जाये, कैसे उसको चरम सीमा पर पहुँचाया जाये। किन्तु यह नहीं साँचा गया। कहा गया है कि एलोपैथी से बढ़ कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रीमन्, गोरे साहब ने जिक्र किया कि आज भी अगर कोई व्यक्ति कोई दवाई जानता है, वह उसको अपने साथ लेकर मर जाता है। यह तो विडम्बना है ही कि मर जाता है, वह अपने साथ उसको नहीं ले जाए इसके लिये क्या प्रयास किया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ स्थान स्थान पर इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जिनके पास ऐसे नुसखे हैं, उनको इकट्ठा करके शोध करके उन पर रिसर्च की जाये तो मैं कहता हूँ एलोपैथी कभी भी उसके मुकाबले टिक नहीं सकती।

दूसरी संदर्भ में मैं एक दो मिसालें देना चाहता हूँ। मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं पैथोलोजिस्ट, उनके पास एक व्यक्ति आता है, उसके गले में

घेंघा हो गया, उस बीमारी का नाम घेंघा होता है जिसमें ग्लैंड सूज जाते हैं, तो उन्होंने कहा उसका आपरेशन होना चाहिये। अस्पताल में गया गरीब आदमी था। उसने कहा ब्लड का इंतजाम कर लो, खून का इंतजाम कर लो, आपरेशन कर दूंगा, पैसा वैसा नहीं लगंगा, जो ये पैथोलोजिस्ट हैं वह ब्लड बैंक भी रखते हैं। उसने कहा हमें खून की जरूरत है आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे यहाँ से खून लोग तो कीमत देनी पड़ेगी, अच्छा है अपने रिश्तेदार से या दोस्त से ले लीजिए, अगर खून देने वाला मिल जायेगा तो निकाल कर दे दूंगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसने कहा परसों आऊंगा, अपने छोटे भाई या दोस्त को लेकर आऊंगा।

उसके बाद वह व्यक्ति नहीं आया। डाक्टर साहब ने मुझे यह बात बताई, आज भी वह मौजूद है कि छः महीने बाद वह व्यक्ति अचानक बाजार में घूमता हुआ मिल गया। उसके घेंघा बँगा कुछ नहीं था। उन्होंने पूछा तुमने आपरेशन कहा कराया? खून कहां से मिला? तो उसने कहा मैंने आपरेशन नहीं कराया, जब मैंने खून के लिये तलाश किया कि कोई रिश्तेदार खून देने के लिये तैयार हो जाये तो फिर उसी समय एक व्यक्ति मुझे मिल गया जो साई बाबा कहलाता था और उस साई बाबा ने कहा, भाई क्या बात है। उसने कहा ऐसा ऐसा है, आपरेशन करने जा रहा हूँ। उसने कहा आपरेशन तो करोगे लेकिन मेरी बात भी देख लो। उसने कहा कि अच्छी बात है। चांदी की दो बालियां मंगाओ। चांदी की दो बालियां मंगा कर उसने दोनों कान की नमों का छेद दिया। कान की नसें छेद देना यह हमारी हिन्दू संस्कृति में एक धार्मिक संस्कार जैसा होता है। यह केवल संस्कार ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है, कस्टम ही नहीं है, उसके पीछे कुछ साइन्स है। तो उस व्यक्ति ने बतलाया कि जिस दिन से ये रिग्स मेरी कान में डाली हैं, यह अपने आप ही सबसाइड करता गया, धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। यह एक नमूना है जो हमारे एक

[श्री मन सिंह वर्मा]

पैथोलोजिस्ट दोस्त हैं, जो एम०बी०बी०एस० हैं और एलोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया।

एक दूसरा उदाहरण भी उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं देता हूँ। मेरठ में ही एक ट्रेजरी आफिसर आए, उन्होंने अपनी एक कथा सुनाई कि मैं अचानक ही एक दिन बैठे-बैठे अंधा हो गया। लोगों ने समझा, डाक्टरों ने भी कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, जिसके कारण बीन्स में कुछ खराबी आ गई है, जिससे अंधा हो गया है। कहने का मतलब यह है, उसने मुझे बताया कि बार-बार हर स्थान पर, जगह जगह पर जाकर बड़े से बड़े डाक्टरों को, आई स्पेशलिस्ट्स को दिखाया। हिन्दुस्तान में जो कुछ बड़ा से बड़ा इलाज हो सकता था, उसने करवाया। “ही स्पेन्ट अब्बाऊट 50,000 रुपीज”, लेकिन वह अंधा अंधा ही रहा। वह फस्ट्रेटेड हो गया, निराश हो गया, जीवन से निराश हो गया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ज़रा जाकर के बनारस में महावैद्य जो रहते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, शायद द्यम्बक जी हैं, शायद शाह जी जानते हैं, वह राज वैद्य कहलाते थे हां, सत्यनागयण जी तो उन्होंने कहा उनके पास हो आओ जाकर। वह उनके पास गया और जाकर कहा इस इस तरह से हुआ, सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, देखो भाई, अच्छे तो तुम हो जाओगे, लेकिन जिस प्रकार से मैं इलाज करता हूँ उस तरह से कर सकोगे तो ठीक हो जाओगे। उसने कहा, जैसी भी आपकी आज्ञा। उसने कहा अच्छी बात है यह मैं नुस्खा लिख देता हूँ। उसने दवाई लिख दी और यह कहा कि यह दवाई तुम गऊ के दूध में इस्तेमाल करोगे, गऊ के दूध में रोटी बनाकर खाओगे, गऊ का दूध पियोगे, गऊ के दूध का घी खाओगे, सब कुछ गऊ का होगा। घर आया, उसने कहा बड़ा कठिन है यह सब करना। पिता जी ने कहा कोई बात नहीं, वह फोरन अच्छी सी गऊ लाए और गऊ बांधी और एक विश्वास के साथ उन्होंने इलाज शुरू कर

दिया। वह दवा क्या थी—कोड़ियों की दवा—कच्चा आवले का चूर्ण, सूखा वाला, 3 माशे चूर्ण, 3 माशे मिश्री, उसकी एक मात्रा गऊ के दूध के साथ बताई और कहा कि सिवाय गऊ के दूध के और कोई प्रयोग नहीं होगा। उन्होंने मुझे बतलाया कि 18 दिन तक मैंने उसका इस्तेमाल किया और मुझे किसी प्रकार का विजन नहीं हुआ, दृष्टि नहीं आई। मैं फिर निराश हो गया और जिस प्रकार और इलाजों में मैंने खर्च किया उसी तरह से इस पर भी हुआ और आखिर में यह भी कर देख लिया। मैंने इस संबंध में बनारस खबर भेजी। उन्होंने कहा कि अभी तो कई दिन बाकी हैं। तुम विश्वास के साथ इस पूरे इलाज को करो और इस प्रकार मैं वह इलाज करता रहा। उन्होंने मुझे यह बात बतलाई। वे यहां पर बहले ट्रेजरी आफिसर थे, लेकिन कोई पांच या छः साल हो गये हैं उनका यहां से ट्रांसफर हो गया है। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि 21 वे दिन की रात से मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखलाई देने लगा और 22 वे दिन मेरी रोशनी मुझे मिल गई।

(Time bell rings)

अभी तो केवल भूमिका हुई है। मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। यदि उन सबको इकट्ठा किया जाय, रिसर्च सेंटर बनाया जाय, तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदिक से बढ़ कर कोई साइंटिफिक ज्ञान नहीं है।

अभी नाडी की बात मंडल जी ने कही और नाडी के द्वारा सब कुछ बतलाया जा सकता है। मैंने कुछ दिन पहले यह बात कही थी कि बगबर 12 वर्षों तक इस हाथ में दर्द रहता था। डाक्टरों ने कहा कि हार्ट ट्रबुल हो गया है, कडियो-ग्राम कराइये, यह कराइये, वह कराइये। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि अब थोड़े दिन बाकी रह गये हैं और अब ज्यादा दिन उम्र नहीं है। एक वैद्य के पास गया, उसने

नाड़ी देखी और इसमें उसने दो मिनट लगाये। उसने कहा कि कोई खास बात नहीं है, अपना वायु विकृत हो गया है, इसलिए दवा दे दी है, एक महीने के बाद वह 12 वर्ष का दर्द दूर हो गया। ये बातें हैं हमारी आयुर्वेद में और इसके कहने का मतलब यह है कि जो दृष्टि हमारी है वह देशी होनी चाहिये, भारतीय होनी चाहिये, लेकिन आज तो मुसीबत यह है कि भारतीयकरण के नाम से एक दम चमक आ जाती है। भारतीयकरण इसी का नाम था।

मुझे यह देख कर अफसोस होता है कि इन्टिग्रेटेड चीज क्या होती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि प्रत्येक साइन्स अपने-अपने स्थान में उन्नति कर सकता है, प्रस्फुटित हो सकता है, पनप सकता है। इन्टिग्रेशन की क्या बात है और इन्टिग्रेशन का आजकल कोई अर्थ नहीं है। अगर इन्टिग्रेशन का कोई अर्थ हो सकता है तो यह हो सकता है कि किसी दूसरे ज्ञान को अपने अन्दर समा लेना, अपना रूप बना देना, इसको इन्टिग्रेशन कहते हैं इन्टिग्रेशन का मतलब क्या यह है "जैक आफ आल, बट मास्टर आफ नन"। मैं यह जानता हूँ कि जितने भी इन्टिग्रेटेड कोर्स द्वारा पढ़े हुए डाक्टर हैं उनके बारे में प्लानिंग कमिशन ने क्या कहा है। प्लानिंग कमिशन ने कहा है कि इन्टिग्रेटेड कोर्स का जो सिस्टम है, वह फेल हो गया है। डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट को भी उठा कर देख लीजिये। उसने भी कहा कि यह सिस्टम फेल हो गया है और आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार और लोगों के भी विचार इस संबंध में पढ़िये, तो पता चलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन्टिग्रेटेड कोर्स के खिलाफ हूँ। जैसा अभी गोरे साहब ने महामना मालवीय जी का नाम लिया था, हकीम अजमल खाँ साहब का नाम लिया था और कहा कि इन्हीं लोगों ने इन्टिग्रेटेड कोर्स शुरू किया था। मैं यह कहता हूँ कि यह बात गलत है, क्योंकि उन्होंने उस पर

ठीक प्रकार से सोचा नहीं। महामना मालवीय जी यह चाहते थे कि जो आधुनिक विज्ञान है, उससे लाभ उठाया जाय। हमारे आयुर्वेद के जानने वाले जो पंडित लोग हैं, जो वैद्य लोग हैं, वे आधुनिक विज्ञान से लाभ उठा कर अपने अन्दर सभायें, यह उनका विचार था। उनका यह विचार नहीं था कि उन्हीं को मेडिकल कालेज बना दिया जाय।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बांक बिहारी दास) :** यू काइन्डली फिनिश।

**श्री मान सिंह वर्मा :** श्रीमान्, हमारे तो 20 मिनट हैं। अब मैं पांच मिनट के अन्दर खत्म कर दूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बांक बिहारी दास) :** एक मिनट में खत्म करिये।

**श्री मान सिंह वर्मा :** तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन्टिग्रेटेड कोर्स को जिन्होंने चलाया, वे ऐसी मनोवृत्ति के द्योतक थे कि हर चीज को मिला कर चलाना चाहते थे। मैंने कहा कि प्रारम्भ से ही इस तरह की मनोवृत्ति चल रही है और इसी कारण देश के अन्दर अडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, मिलावट बढ़ रही है। आज यह भावना है कि हर चीज को मिला दिया जाय। कल्चर है तो कम्पोजिट कल्चर, धर्म है तो कम्पोजिट धर्म है, भेष है तो मिलावट का भेष है, भोजन है तो मिलावट का भोजन है, भावना है तो मिलावट की है यानी हर चीज अडल्ट्रेटेड है। आयुर्वेद के अन्दर एलोपैथी का अडल्ट्रेशन कर देना चाहते हैं और अडल्ट्रेशन किया गया है। मैं एलोपैथी के अगेन्स्ट नहीं हूँ, उसको बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें जो विज्ञान है, उसने काफी तरक्की की है और उस तरक्की का हमें लाभ उठाना चाहिये। लेकिन जो इन्टिग्रेटेड कोर्स के ग्रेज्युएट हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आप को डाक्टर कहलाने में क्या गर्व करते हैं? लेकिन वैद्य कहेंगे तो हीन भावना समझे कि वैद्य

[श्री मानसिंह वर्मा]

जी कहा जा रहा है। अगर डाक्टर होंगे तो बात अंग्रेजी में करेंगे ताकि रोब पड़ सके और अगर हिन्दी में बोलेंगे तो वे समझेंगे कि हमें कोई पृष्ठेगा भी नहीं।

**एक माननीय सदस्य :** फीस भी नहीं देगा।

**श्री मान सिंह वर्मा :** वे अपने को डाक्टर कहलाने में गौरव अनुभव करते हैं और वैद्य कहलाने में अपने को छोटा समझते हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक का कोर्स किया है तो उन्हें चाहिये कि वे कौंसिल में बने रहें और अपने आपको डिक्लेयर करें कि हम आयुर्वेदिक का इलाज करेंगे और तब ही वे इस कौंसिल में शामिल हो सकते हैं।

जरा सोचिए एक मरीज आया तो उसको यूनानी की दवा दे दी और दूसरा आया तो उसको आयुर्वेदिक की दवा दे दी। अभी एक घंटा पहले आयुर्वेदिक की दवा दे दी और दो घंटे के बाद एलोपैथी की दवा दे दी। यह कहां तक ठीक है और दूसरे एलोपैथी तो ऐसी चीज नहीं है कि संजीवनी सुधा बन कर आई हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट डाक्टर ने एक इन्जेक्शन दिया और उधर राम नाम सत्य हो गई। अभी हमारे एक मित्र तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। उन्हें दर्द हो जाया करता था। वे डाक्टर के पास गये तो उसने कहा कि कार्डियोग्राम कराइये। कार्डियोग्राम कराने के बाद उनको इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया कि वे यात्रा कर सकते हैं लेकिन रास्ते में ही उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी डैथ हो गई।

आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है, वह अध्यात्मिकता से संबंधित है, उसके अन्दर विज्ञान है। वह बड़े लोगों का तपस्या का फल है और उस तपस्या को देख कर उन लोगों ने बाहर और अन्दर झांक कर एक सामनजस्य किया, एक कोऑर्डिनेशन किया था और वह निहायत

कम्प्लीट और पूर्ण है तथा उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में इस बात के लिए मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन्टिग्रेटेड कोर्स के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनकी तरफ से जो एसोसिएशन बनी है, उनकी तरफ से जो एक बड़ा दबाव पड़ा है, इतना साहित्य, लिटरेचर उन्होंने एम० पीज और सदस्यों से भेजा है, जिसको देख कर एक तरह से दिमाग खराब हो जाता है। उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिये और यह बात गलत है। उनके लिए तो यही उचित है कि वे एक रास्ता पकड़ लें और उस रास्ते को पकड़ कर आगे चलें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूँ।

**श्री ह्यातुल्ला अन्सारी (उत्तर प्रदेश) :** वाइस चेयरमैन साहब, मैं वर्मा जी की स्पीच को सुन कर बहुत खुश हूँ। इसमें जितनी टेढ़ी मेढ़ी बात हो सकती है वे सब आ गई हैं। उन्होंने तीन किस्से बतलाये। उन्होंने यह बतलाया कि गले में जो घेंघा हो जाता है वह कान को छेदने से ठीक हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक सिस्टम निकला, इसलिए वह यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। इस तरह से हर एक में किस्से निकलते रहते हैं। एक वाक्य कहा जाता है तब मैं कि जितने भी शहर में बीमार हो जाते थे वे फाटक के बाहर जाकर बैठ जाते थे।

**श्री मान सिंह वर्मा :** मैंने किस्से नहीं कहे, मैंने फैक्ट्स कहे हैं। दीज आर फैक्ट्स।

**श्री ह्यातुल्ला अन्सारी :** जो चीज तब में है वह आयुर्वेद में भी है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं पहले आब्जेक्टिव व्यू लेना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इंडिजिनेस सिस्टम कह रहा हूँ। यह सिस्टम कैसे बना। अगर आज गांव का कोई भी आदमी बीमार हो जाता है, उसके पेट में दर्द होता है तो लोग यह कहते

है कि यह दवा खाओ, यह जड़ी बूटी खाओ तो अच्छे हो जाओगे। एक खाता है, दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, चौथा खाता है और फिर इससे जब फायदा होता है तो वह दूसरों को बतलाता है कि मैंने यह जड़ी बूटी खाई थी, जिसकी वजह से मैं को फायदा हो गया है। तब और यूनानी में कहा जाता है कि जब शहर के अन्दर कोई बीमार हो जाता था, तो वह शहर के बाहर फाटक में बैठ जाता था, फिर जो मुसाफिर आते थे, बीमार उनसे पूछता था कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, क्या तुमने कभी सुना है किसी को ऐसी बीमारी हुई है और किस दवा से उसको फायदा हुआ। इस तरह से लोग दूसरों से मालूम वरके इलाज करते थे कि इस दवा के खाने से पलों फलों बीमारी अच्छी हो जाती है। जैसा अर्भा वर्मा जी ने बतलाया कि गले में घोंघा हो जाने पर कान छेदने से ठीक हो जाता है। हाक खराब हो गया तो नमक का गरारा करने में अच्छा हो जाता है। इस तरह से बहुत सी चीज बन गई थी और जो थिंकर्स थे, उन्होंने नालाइज करके ऐसे प्रिन्सिपल्स निकाले, जिनसे यह मालूम होता है कि इस दवा को खाने से हलक को फायदा पहुंचता है या पेट को फायदा पहुंचता है।

5 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY DAS) : You may

continue your speech tomorrow. Now the Home Minister.

# PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF KERALA

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table—

(i) a copy of the Proclamation issued by the President on August 4, 1970, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala, under Clause (3) of the said Article;

(ii) a copy of the Order dated August 4, 1970, made by the President under sub-clause (i) of Clause (c) of the Proclamation; and

(iii) a copy of the Report of the Governor of Kerala to the President recommending the issue of Proclamation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY DAS) : The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 5th August, 1970.